

राज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2019/22580 2020/10218

हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

2019/10218

2020/10218

श्री 2020/10218

श्री 2020/10218

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
जाती हुए

प्रहलाद बनाम प्रगु वगैरह (278/2010)

17523

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को अपील पर सुना गया एवं अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.06.2019 के विरुद्ध यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 25.02.2020 को यह कथन करते हुए कि वाद-पत्र खारिज किया जा चुका है, प्रार्थना पत्र चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र नोट प्रेस किये से खारिज किया जाता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निरस्तारण किये जाने से प्रस्तुत अपील सारहीन हो चुकी है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

